

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, करेड़ा

बनाम मूला खोरा करेड़ा

क्रमांक २१५४ ४०, ४१, ४२, ४३, ४४ नं. १२ सन् २०२०

ब्र
स
ज


हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुकम की तामील
में जारी हुए

२१/१२/२०२० वाद प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर
विपक्षीय को सम्मन नोटिस जारी किये जावे। पत्रावली दिनांक ४/०२/२०२०
को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी पदेन
सहायक फेलक्टर, करेड़ा

~~२१/०१/२०२० - वादी के वकील द्वारा
प्रकरण में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत
करा वादी एवं प्रतिपक्षी सं. १ के सम्बन्ध
राजनामा हेतु जाने से प्रकरण को
लोक अदालत में मावना से प्रति
होकर वादी उक्त प्रकरण में अहकाम
को कार्यवाही नहीं चाहता है
प्रकरण में पेशी दिनांक ४/०२/२०२०
की निम्नलिखित पत्रावली शिवा
से सम्बन्धी जाकर प्रकरण को
कार्यवाही के इसी अहकाम पर
शेष कार्य समाप्त जावे
वादी के अधिनियम पर
पत्रावली शिवा से सम्बन्धी
जाकर वादी के लक्ष्य प्राप्त करने से
पर बहस सुनी गई प्रार्थना
पत्र अहकाम वादी एवं प्रतिपक्षी
सं. १ के सम्बन्ध राजनामा हेतु जाने
से पत्रावली में वादी अहकाम~~


H.C. JAT
जज अदालत



तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहकाम
हुक्म य
में ज

~~कार्ड कार्यवाही नहीं चाहने से
कापी का वाद इसी स्वरूप
स्वारी ज किमा जाता है
पत्र (कम) फुलम सुमार लक्ष
दृष्ट नंबर से कम हो~~

उपखण्ड अधिकारी
सहायक अधिकारी